

विधान सभा कार्य
परम अग्रता

संख्या - II'

दिनांक 472

दिनांक 31/9/15

1974
31/9/15

क्रमांक 1/4/2009-1सं0 का0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सचिव,
हरियाणा विधान सभा,
चण्डीगढ़ ।

दिनांक चण्डीगढ़ 31 अगस्त, 2015.

विषय:- हरियाणा विधान सभा के दिनांक 2 सितम्बर, 2015 से आरम्भ होने वाले अधिवेशन के दौरान किये जाने वाले सरकारी कार्य का अस्थाई कार्यक्रम ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 2 सितम्बर, 2015 से आरम्भ होने वाले अधिवेशन का अस्थाई कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा :-

Wednesday, 2nd September, 2015
(2.00 P.M.)

- Obituary References
- Election of Deputy Speaker
- Presentation, discussion and voting on Supplementary Estimates (1st Instalment) for the year 2015-2016.
- Papers to be laid/re-laid

Thursday, the 3rd September, 2015
(10.00 A.M.)

Non-official Business

Friday, 4th September, 2015
(10.00 A.M.)

- The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates (1st Instalment) for the year 2015-2016.
- Legislative Business.
- Any Other Business.

आपसे अनुरोध है कि आप सदन के कार्य को हरियाणा विधान सभा की क्रियाविधि तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 29 के अधीन तदनुसार व्यवस्थित कर लें ।

भवदीय,


अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृष्ठांकन क्रमांक 1/4/2009-1सं0 का0

दिनांक चण्डीगढ़ 31 अगस्त, 2015.

एक-एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।


अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

जारी....2

received today

31/9/15

31/9/15

DA

JD (CA)


31/9/15

31/9/2015
A-II

पृष्ठांकन क्रमांक 1/4/2009-1सं0 का0 दिनांक चण्डीगढ़ 31 अगस्त, 2015.

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है :-


1. सचिव, राज्यपाल हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, हरियाणा ।


अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।


पृष्ठांकन क्रमांक 1/4/2009-1सं0 का0 दिनांक चण्डीगढ़ 31 अगस्त, 2015.

एक-एक प्रति मुख्य मंत्री जी तथा मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/मुख्य संसदीय सचिवों के विशेष वरिष्ठ सचिवों/ वरिष्ठ निजि सचिवों/सचिवों/निजि सचिवों को मुख्य मंत्री/मंत्रियों/मुख्य संसदीय सचिवों के सूचनार्थ भेजी जाती है ।


अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृष्ठांकन क्रमांक 1/4/2009-1सं0 का0 दिनांक चण्डीगढ़ 31 अगस्त, 2015.
एक-एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ तथा आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।


अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

<<<0>>>